मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या-२१ /2016

दिनांकःलखनऊःमई २8 ,2016

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)(संशोधन) अधिनियम, 2015 तथा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण(संशोधन) अधिनियम,2015 के सम्बन्ध में ।

.....

कृपया इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-76/2015 दिनॉक 11-12-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)(संशोधन) अध्यादेश-2015 के प्रभावहीन होने तथा इसके प्रतिस्थानी उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)(संशोधन) विधेयक 2015 राज्य विधान मण्डल से पारित होने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त न होने के कारण इस अध्यादेश के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे ।

2- वर्तमान में उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-जी0आई0-12/छ-पु-9-15-31(43)/2013 दिनॉक 5-5-2016 जो आप सभी को भी सम्बोधित है के माध्यम से उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)(संशोधन) अधिनियम 2015(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2016) से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-697/79-वि-1-16-1(क)2/2015 दिनॉक 27-4-2016 एवं उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-13 सन् 2016) से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-692/79-वि-1-16-1(क)2/2015 दिनॉक 25-4-2016 प्रख्यापित करते हुए उनका अनुपालन कड़ाई से कराये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

3- अतः उक्त संशोधित अधिनियमों को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट पर इस आशय से अपलोड किया जा रहा है कि इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

.....

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ को संशोधित अधिनियमों की प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड कराकर अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

216
6/5

फैक्स/ईमेल

संख्या–जी0आई0–12/छः–पु0–9–15–31(43)/2013

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 05 मई, 2016

विषयः–उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 तथा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियत्रंण(संशोधन) अधिनियम, 2015 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधायी विभाग द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2015, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2016) से संबधित अधिसूचना संख्या–697/79–वि–1–16–1(क)2/2015 दिनांक–27 अप्रैल, 2016, (छायाप्रति संलग्न) एवं उत्तर प्रदेश गुण्डा नियत्रंण(संशोधन) अधिनियम, 2015(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–13 सन् 2016) से संबधित अधिसूचना संख्या–692/79–वि–1–16–1(क)2/2015 दिनांक–25 अप्रैल, 2016, (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त अधिनियम के माध्यम से प्रख्यापित संशोधनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– प्रश्नगत अधिसूचना गृह विभाग की वेबसाइट (uphome.gov.in) एवं एनआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

06.5.16

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त प्रतियों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग (द्वारा पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश)
(5) समस्त जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ)।
(6) समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी, उ0प्र0)।
(7) निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ को शासन की वेबसाइट पर निर्गमन हेतु।
(8) प्रभारी गृह नियंत्रण कक्ष को गृह विभाग की वेबसाइट (uphome.gov.in)पर आन लाइन निर्गमन हेतु।
(9) गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोपरि।

पुलिस महानिदेशक (अपराध)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

रजिस्ट्रेशन नम्बर- एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

[illegible] संख्या—95

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 25 अप्रैल, 2016
बैशाख 5, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 692/79-वि-1-16-1(क)-2-2015

लखनऊ, 25 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

[illegible] संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) [illegible] पर दिनांक 7 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 [illegible] के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

[illegible] छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

[illegible] अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2015 [illegible] संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

[illegible] फरवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2–उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(8) जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

(9) जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

(10) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो;

(11) वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।"

3–(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2015

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971) का अधिनियमन, राज्य में लोक व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत गुण्डा नियंत्रण और दमन हेतु विशेष उपबन्ध करने के लिये किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा वाद संख्या [illegible]90/2012 मुशर्रफ अली पुत्र शौकत अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अपने आदेश दिनांक [illegible], 2013 में निम्नलिखित अपराधों को भी उक्त अधिनियम की परिधि में लाने और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये गये हैं :-

1–जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

2–जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

3–गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो;

4–वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके शब्द "गुण्डा" की परिभाषा में उक्त अपराधों को भी सम्मिलित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त [illegible] कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2015) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 692 (2)/LXXIX-V-1--16-1 (ka)-2-2015

Dated Lucknow, April 25, 2016

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is [illegible] to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Goonda Niyantran [illegible] Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2016) as passed by the Uttar [illegible] Legislature and assented to by the President on April 7, 2016.

THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS (AMENDMENT) ACT, 2015

(U.P. Act No. 13 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

[illegible] to amend the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as [illegible]

[illegible] This Act may be called the Uttar Pradesh Control of Goondas [illegible] Act, 2015. **Short title and commencement**

(2) It shall be deemed to have come into force on February 4, 2015.

[illegible] In section 2 of the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970, hereinafter [illegible] the principal Act, in clause (b) *after* sub-clause (vii) the following [illegible] shall be *inserted*, namely :– **Amendment of section 2 of U.P. Act no. 8 of 1971**

[illegible] is involved in offences punishable under the Regulation of Money [illegible] Act, 1976;

[illegible] is involved in offences punishable under the Unlawful Activities [illegible] Act, 1966 and the Indian Forest Act, 1927;

[illegible] is involved in illegally transporting and/or smuggling of cattle and [illegible] in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow [illegible] Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

[illegible] is involved in human trafficking for purposes of commercial [illegible] forced labour, bonded labour, child labour, sexual exploitation, [illegible] and trafficking, beggary and the like activities."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 2015

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 (U.P. Act no. 8 of 1971) has been enacted to provide for making special provisions for the control and suppression of Goondas with a view to ensuring the maintenance of public order in the State. The High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow has in case no. 2390/2012 Mushrraf Ali, Son of Shaukat Ali *Versus* Uttar Pradesh State in their order dated January 8, 2013 suggested to bring the following offences in the ambit of the said Act and take action against the persons indulging in such offences under the said Act:–

1. offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

2. offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966 and the Indian Forest Act, 1927;

3. illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

4. human trafficking for purposes of commercial exploitation, forced labour, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities

With a view to complying with the said orders of the Hon'ble High Court it has been decided to [illegible] the said Act to include the said offences in the definition of the word "Goondas".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to [illegible] the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Ordinance, 2015 [illegible] 2015) was promulgated by the Governor on February 4, 2015.

[illegible]is Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ABDUL SHAHID,

Pramukh Sachiv.

[illegible] राजपत्र–(हिन्दी)–2016–(107)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
[illegible] विधायी–26-04-2016–(108)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
[illegible]

क्रम-संख्या-96

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 अप्रैल, 2016
बैशाख 7, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 697 / 79-वि-1–16-1(क)1-2015
लखनऊ, 27 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 10 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2015

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2016]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 20 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में उपखण्ड (पन्द्रह) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(सोलह) साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(सत्रह) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता;

(अट्ठारह) वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना;

(उन्नीस) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(बीस) जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना;

(इक्कीस) नकली दवाओं का उत्पादन, विक्रय और वितरण में अन्तर्ग्रस्त होना;

(बाईस) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला-बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्तर्ग्रस्त होना;

(तेईस) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिये गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना;

(चौबीस) आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(पच्चीस) राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना।"

3-(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, सन् 2015

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1986) का अधिनियमन गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलापों को रोकने और उनका सामना करने के लिए किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा वाद संख्या [illegible] मुशर्रफ अली पुत्र शौकत अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अपने आदेश दिनांक 8 जनवरी, [illegible] में निम्नलिखित अपराधों को भी उक्त अधिनियम की परिधि में लाने और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये गये हैं :—

1-साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध;

2-गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता;

3-वाणिज्यिक शोषण, बंधुआ श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना;

4-विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध;

5--जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना;

6--नकली दवाओं का उत्पादन, विक्रय और वितरण में अन्तर्ग्रस्त होना;

7--आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला-बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्तर्ग्रस्त होना;

8--भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिए गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना;

9--आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध;

10--राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके शब्द "गिरोह" की परिभाषा में उक्त अपराधों को भी सम्मिलित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2015) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 697 (2)/LXXIX-V-1-16-1 (ka) 1-2015

Dated Lucknow, April 27, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Girohband Aur Samaj Virodhi Kriyakalap (Nivaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 26, 2016 :-

THE UTTAR PRADESH GANGSTERS AND ANTI-SOCIAL ACTIVITIES (PREVENTION) (AMENDMENT) ACT, 2015

[U. P. Act No. 14 of 2016]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) (Amendment) Act, 2015. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on January 20, 2015.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 7 of 1986

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (b) *after* sub-clause (xv) the following sub-clauses shall be *inserted*, namely :–

"(xvi) offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

(xvii) illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xviii) human trafficking for purposes of commercial exploitation, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activites;

(xix) offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966;

(xx) printing, transporting and circulafing of fake Indian currency notes;

(xxi) involving in production, sale and distribution of spurious drugs;

(xxii) involving in manufacture, sale and transportation of arms and ammunition in contravention of sections 5, 7 and 12 of the Arms Act, 1959;

(xxiii) felling or killing for economic gains, smuggling of products in contravention of the Indian Forest Act, 1927 and the Wildlife Protection Act, 1972;

(xxiv) offences punishable under the Entertainment and Betting Tax Act, 1979;

(xxv) indulging in crimes that impact security of State, public order and even tempo of life."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 1 of 2015

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Gangsters Act and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 (U.P. Act no. 7 of 1986) has been enacted to provide for making special provisions for the prevention of, and for copying with gangsters and anti social activities in the State. The High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow has in case no. 2390/2012 Mushrraf Ali Son of Shaukat Ali *versus* Uttar Pradesh State in the order thereof dated January 3, 2013 suggested to bring the following offences in the ambit of the said Act and take action against the persons indulging in such offences under the said Act :–

1. offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

2. illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

3. human trafficking for purposes of commercial exploitation, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities;

4. offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966;

5. printing, transporting and circulating of fake Indian currency notes;

6. involving in production, sale and distribution spurious drugs;

7. involving in manufacture, sale and transportation of arms and ammunition in contravention of sections 5, 7 and 12 of the Arms Act, 1959;

8. felling or killing for economic gains, smuggling of products in contravention of the Indian Forest Act, 1927 and the Wildlife Protection Act, 1972;

9. offences punishable under the Entertainment and Betting Tax Act, 1979;

10. indulging in crimes that impact security of State, public order and even tempo of life.

With a view to complying with the said orders of the Hon'ble High Court it has been decided to amend the said Act to include the said offences in the definition of the word "Gang".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) (Amendment) Ordinance, 2015 (U.P. Ordinance no. 1 of 2015) was promulgated by the Governor on [illegible] 20, 2015.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 55 राजपत्र–(हिन्दी)–2016–(114)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 4 सा० विधायी–2016–(115)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

E:\Vidhaika_2015\Adhiniyam_Jan_2016\55_RPII_2016_Girohband.doc

426

फैक्स/ईमेल
संख्या–जी0आई0–12/छः–पु0–9–15–31(43)/2013

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

लखनऊः दिनांकः 05 मई, 2016

विषयः–उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 तथा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियत्रंण(संशोधन) अधिनियम, 2015 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधायी विभाग द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2015, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2016) से संबधित अधिसूचना संख्या–697/79–वि–1–16–1(क)2/2015 दिनांक–27 अप्रैल, 2016, (छायाप्रति संलग्न) एवं उत्तर प्रदेश गुण्डा नियत्रंण(संशोधन) अधिनियम, 2015(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–13 सन् 2016) से संबधित अधिसूचना संख्या–692/79–वि–1–16–1(क)2/2015 दिनांक–25 अप्रैल, 2016, (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त अधिनियम के माध्यम से प्रख्यापित संशोधनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– प्रश्नगत अधिसूचना गृह विभाग की वेबसाइट (**uphome.gov.in**) एवं एनआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

05.5.16

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त प्रतियों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग (द्वारा पुलिस महानिदेशक,उत्तर प्रदेश)
(5) समस्त जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ)।
(6) समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फैजदारी) उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी, उ0प्र0)।,
(7) निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ को शासन की वेबसाइट पर निर्गमन हेतु।
(8) प्रभारी गृह नियंत्रण कक्ष को गृह विभाग की वेवसाइट (**uphome.gov.in**)पर आन लाइन निर्गमन हेतु।
(9) गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोपरि।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

क्रम-संख्या-95

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 25 अप्रैल, 2016

बैशाख 5, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 692/79-वि-1–16-1(क)-2-2015
लखनऊ, 25 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विधि

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 7 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 4 फरवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :-

"(8) जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

(9) जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

(10) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो;

(11) वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2015

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971) का अधिनियमन, राज्य में लोक व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत गुण्डा नियंत्रण और दमन हेतु विशेष उपबन्ध करने के लिये किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा वाद संख्या 2390/2012 मुशर्रफ अली पुत्र शौकत अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अपने आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2013 में निम्नलिखित अपराधों को भी उक्त अधिनियम की परिधि में लाने और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये गये हैं :-

1-जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

2-जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

3-गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो;

4-वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके शब्द "गुण्डा" की परिभाषा में उक्त अपराधों को भी सम्मिलित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2015) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 692 (2)/LXXIX-V-1-16-1 (ka)-2-2015

Dated Lucknow, April 25, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Goonda Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 7, 2016.

THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS (AMENDMENT) ACT, 2015

(U.P. Act No. 13 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 4, 2015.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 8 of 1971

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (b) *after* sub-clause (vii) the following sub-clauses shall be *inserted,* namely :–

"(viii) is involved in offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

(ix) is involved in offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966 and the Indian Forest Act, 1927;

(x) is involved in illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xi) is involved in human trafficking for purposes of commercial exploitation, forced labour, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 2015

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 (U.P. Act no. 8 of 1971) has been enacted to provide for making special provisions for the control and suppression of Goondas with a view to ensuring the maintenance of public order in the State. The High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow has in case no. 2390/2012 Mushrraf Ali, Son of Shaukat Ali *Versus* Uttar Pradesh State in their order dated January 8, 2013 suggested to bring the following offences in the ambit of the said Act and take action against the persons indulging in such offences under the said Act:–

1. offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

2. offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966 and the Indian Forest Act, 1927;

3. illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

4. human trafficking for purposes of commercial exploitation, forced labour, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities.

With a view to complying with the said orders of the Hon'ble High Court it has been decided to amend the said Act to include the said offences in the definition of the word "Goondas".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Ordinance, 2015 (U.P. Ordinance no. 2 of 2015) was promulgated by the Governor on February 4, 2015.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ABDUL SHAHID,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 53 राजपत्र–(हिन्दी)–2016–(107)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 वि0 विधायी–26–04–2016–(108)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।